अणुव्रत पुरस्कार-2009

जय तुलसी फाउंडेशन

अणुव्रत भवन, 210, दीनदयाल उपाध्याय मार्ग, नई दिल्ली-110002
संपर्क सूत्र : 011-23231373 फैक्स - 011-23231363
email : jtfcal@gmail.com

वर्ष 2009 के लिए योग्य अभ्यर्थियों अथवा संस्थाओं के नाम के प्रस्ताव आमंत्रित किए जाते हैं जिन्होंने समाज में मानवीय एकता, नैतिक मूल्यों की प्रतिष्ठा, अणुव्रत के सिद्धान्तों की स्थापना एवं स्वस्थ समाज संरचना हेतु सघन कार्य किया हो।

अणुव्रत पुरस्कार स्वरूप 1,51,000/- धनराशि, प्रतीक चिह्न, प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाएगा।

आपके प्रस्ताव निर्धारित फॉर्म पर आवश्यक अनुलग्नकों सहित संस्था के कार्यालय में 30 नवम्बर, 2010 तक जमा हो जाने चाहिए। फॉर्म एवं नियमावली संस्था के कार्यालय से प्राप्त करें।

– सुरेन्द्र कुमार दूगड़ (प्रबन्ध न्यासी)

अणुव्रत पुरस्कार-2009

(आवेदन के लिए प्रारूप)

जय तुलसी फाउन्डेशन

अणुव्रत भवन, 210 दीनदयाल उपाध्याय मार्ग, नई दिल्ली - 110002

दूरभाष नं० : 011-23231373 फैक्स नं० : 011-23231363 email jtfcal@gmail.com

---

1. प्रस्तावित व्यक्ति / संस्था का नाम :
....
....

2. पूरा पता :
....
....
....

3. सम्पर्क सूत्र :
....
....

4. प्रस्तावित व्यक्ति / संस्था का संक्षिप्त परिचय :
(केवल 400 शब्दों में, अलग से कागज लगाएं।)

5. मानवीय एकता, नैतिक मूल्यों की प्रतिष्ठा एवं स्वस्थ समाज संरचना के क्षेत्र में किए गए सघन कार्यो का ब्यौराः
(केवल 400 शब्दों में, अलग से कागज लगाएं।)

6. आवेदन की तिथि तक प्राप्त महत्वपूर्ण सम्मान / पुरस्कार :
....
....

7. प्रस्तावक का नाम :
....
....

8. पूरा पता :
....
....
....

9. संपर्क सूत्र :
....
....

10. आपके विचार में प्रस्तावित व्यक्ति / संस्था को पुरस्कार क्यों मिलना चाहिए :
(केवल 400 शब्दों में, अलग से कागज लगाएं।)

प्रस्तावक द्वारा घोषणा :

मैं वर्ष 2009 के अणुव्रत पुरस्कार के लिए उपरोक्त व्यक्ति/संस्था के नाम के प्रस्ताव की अनुशंसा करता हूँ। मेरी जानकारी में मेरे द्वारा प्रदत्त सूचनाएं सत्य एवं वैध हैं।

प्रस्ताव प्रेषण तिथि : ....

प्रस्तावक के हस्ताक्षर : ....

प्रस्तावक का पद : ....

अणुव्रत पुरस्कार

(नियमावली)

जय तुलसी फाउन्डेशन

अणुव्रत भवन, 210-दीनदयाल उपाध्याय मार्ग, नई दिल्ली - 110002

दूरभाष नं० : 011-23231373 फैक्स नं० : 011-23231363 email jtfcal@gmail.com

अणुव्रत पुरस्कार जय तुलसी फाउन्डेशन का एक गरिमामय सम्मान है। समाज में मानवीय एकता, नैतिक मूल्यों की प्रतिष्ठा, एवं स्वस्थ समाज संरचना हेतु सघन कार्य करने के लिए प्रतिवर्ष यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है। अणुव्रत पुरस्कार का मूल ध्येय यह है कि अनुशासन को समर्पित किसी ऐसे सच्चरित्र, नैतिक एवं कर्मठ व्यक्ति को या नैतिक मूल्यों के विकास एवं स्वस्थ समाज संरचना के लिए कार्यरत किसी संस्था को पुरस्क त किया जाए जिसने सार्वजनिक जन-जीवन में चरित्र निर्माण की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई हो। यह पुरस्कार स्वस्थ समाज संरचना के लिए लोगों को प्रेरित करेगा और नैतिक मूल्यों से ओत-प्रोत जीवन जीने की प्रेरणा देगा। अभी तक यह पुरस्कार श्री यशपाल जैन, श्री सीताशरण शर्मा, श्री भैरोसिंह शेखावत, श्री हेम भाई, श्री महावीरराज गेलडा,श्री एस. रघुनाथन आदि समाज सेवी, साहित्यकार, राजनेता आदि महानुभावों को प्रदान किया जा चुका है। नैतिक मूल्यों की प्राण-प्रतिष्ठा व स्वस्थ समाज संरचना के क्षेत्र में तल-स्पर्शी कार्य करनेवाली महत्वपूर्ण संस्था राष्ट्रीय अणुव्रत शिक्षक संसद को भी इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है।

अध्याय 1 : पुरस्कार

(क) अणुव्रत पुरस्कार समाज में मानवीय एकता, नैतिक मूल्यों की प्रतिष्ठा एवं स्वस्थ समाज संरचना हेतु सघन रूप में कार्य करने वाले व्यक्ति/संस्था को प्रदान किया जाएगा।

(ख) यह पुरस्कार प्रतिवर्ष किसी एक व्यक्ति/एक संस्था को प्रदान किया जाएगा जो नियमावली में उल्लिखित नियमों के अनुरूप होगा।

(ग) पुरस्कार स्वरूप 1,51,000/- सममूल्य अर्थराशि का चैक, प्रशस्ति पत्र एवं प्रतीक चिह्न ससम्मान प्रदान किया जाएगा। भविष्य में पुरस्कार स्वरूप प्रदान की जाने वाली राशि में परिवर्तन किया जा सकता है।

(घ) चयन समिति की द ष्टि में किसी वर्ष यदि इस पुरस्कार की गरिमा के अनुरूप प्रविष्टियाँ प्राप्त नहीं होती हैं तो चयन समिति को यह अधिकार होगा कि वह उस वर्ष विशेष का पुरस्कार किसी को न दे।

(ङ) कोई व्यक्ति/संस्था एक बार पुरस्कार प्राप्त करने के बाद पुनः पुरस्कार का अधिकारी नह होगा।

(च) किसी दिवंगत व्यक्ति के प्रस्तावित नाम पर पुरस्कार के लिए विचार नह किया जाएगा। प्रस्ताव प्रेषित कर देने के बाद यदि प्रस्तावित व्यक्ति दिवंगत हो जाता है तो उसके नाम की अनुशंसा की गई प्रविष्टि को स्वीक त समझा जाएगा। चयन मंडल की प्रक्रिया में ऐसे व्यक्ति का यदि चयन होता है तो उसके सम्मान में मरणोपरांत पुरस्कार उनके उत्तराधिकारी को सौंप दिया जाएगा।

(छ) पुरस्कार के लिए प्रस्ताव पत्र के साथ संलग्न अनुलग्नक संस्था की संपत्ति होगी जिसे वापस लौटाई नहीं जा सकेगी।

अध्याय 2 : पात्रता

(क) पुरस्कार प्राप्तकर्त्ता जाति, मूलवंश अथवा धर्म के भेद-भाव के बिना विश्व के किसी भी भाग से संबंधित हो सकता है।

(ख) इस पुरस्कार के लिए जिस व्यक्ति की अनुशंसा की जाए वह बुनियादी स्तर का कार्यकर्त्ता हो जिसने श्रेष्ठ जीवन जीने के लिए समाज को प्रेरित किया हो और समाज में पीड़ित व्यक्तियों के कल्याण के लिए उल्लेखनीय कार्य किया हो।

(ग) पुरस्कार के लिए प्रस्तावित संगठन असांप्रदायिक होना चाहिए और उसकी गतिविधियाँ मानव पीड़ा को दूर करने तथा उन कार्यक्रमों के प्रचार-प्रसार के लिए होनी चाहिए जिनका उद्देश्य समाज में नैतिक मूल्यों की स्थापना, स्वस्थ समाज संरचना एवं मानवीय एकता को प्रेरित, प्रोत्साहित एवं संवर्द्धित करना हो।

(घ) पुरस्कार के लिए व्यक्तिगत रूप से किए गये आवेदनों पर विचार नह किया जाएगा।

(ङ) पुरस्कार के लिए साधारणतः तभी किसी नाम पर विचार किया जाएगा जबकि इस नियमावली के अध्याय 3(क) के अनुसार कोई सक्षम व्यक्ति/संस्था लिखित रूप से किसी व्यक्ति/संस्था के नाम के प्रस्ताव की अनुशंसा करे।

अध्याय 3 : प्रस्तावकर्त्ता

(क) पुरस्कार के लिए किसी व्यक्ति/संस्था के नाम की अनुशंसा करने का अधिकार निम्नलिखित व्यक्ति/संस्था को होगा :
- इस पुरस्कार की चयन समिति के भूतपूर्व सदस्य।
- इस पुरस्कार से पुरस्कृत महानुभाव/संस्था।
- भारतीय संसद के सदस्य।
- किसी विश्वविद्यालय के कुलपति तथा विभागाध्यक्ष।
- विदेश स्थित भारतीय मिशनों के प्रमुख।
- राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं जिनका उद्देश्य नैतिक मूल्यों की स्थापना एवं स्वस्थ समाज संरचना करना हो। (प्रस्ताव प्रेषित करनेवाली ऐसी संस्थाएं आवेदन फॉर्म के साथ अपनी संस्था का फोल्डर संलग्न करें।)
- कोई अन्य व्यक्ति या संस्था जिसे चयन समिति पुरस्कार प्रस्ताव प्रेषित करने के लिए उपयुक्त समझे।

(ख) कोई एक व्यक्ति/संस्था किसी एक व्यक्ति/संस्था के नाम की ही अनुशंसा कर सकता है।

(ग) पुरस्कार के प्रस्ताव के लिए निर्धारित फॉर्म का उपयोग करना आवश्यक है एवं उसमें वांछित जानकारियां प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

(घ) प्रस्तावकर्त्ता द्वारा प्रेषित संपूर्ण विवरण उनकी जानकारी में प्रामाणिक एवं सत्य होने चाहिए।

(ङ) विचारार्थ प्रस्तुत प्रस्तावों के समर्थन में प्रस्तावकर्त्ता द्वारा पर्याप्त साक्ष्य संलग्न करना आवश्यक है।

(च) प्रस्तावकर्त्ता द्वारा प्रेषित प्रस्ताव आवश्यक अनुलग्नकों सहित संस्था के मुख्य कार्यालय में निर्धारित तिथि तक पहुंच जाने चाहिए।

(छ) निर्धारित तिथि के बाद प्रेषित/प्राप्त प्रस्ताव/अनुलग्नक सामग्री को स्वीकार कर पाना संभव नह होगा।

अध्याय 4 : चयन समिति

(क) पुरस्कार संबंधी प्रक्रिया के सम्यक् संचालन हेतु संस्था के अंतर्गत एक चयन समिति गठित होगी। चयन समिति में संस्था के प्रबंध न्यासी चेयर पर्सन होंगे। चयन समिति में चेयर पर्सन सहित कुल पाँच सदस्य या अधिकतम सात सदस्य होंगे जो निष्पक्षता एवं समदर्शिता की भावना के प्रति समर्पित होंगे। चयन समिति का कार्यकाल तीन वर्षों का होगा। आवश्यकता पड़ने पर चयन समिति के कार्यकाल को छः माह के लिए बढ़ाया जा सकता है।

(ख) यदि चयन समिति में पाँच सदस्य होंगे तो बैठक के कोरम के लिए तीन सदस्यों की उपस्थिति अनिवार्य होगी। यदि चयन समिति सात सदस्यों की होगी तो बैठक के कोरम के लिए चार सदस्यों की उपस्थिति अनिवार्य होगी।

(ग) चयन समिति की बैठक आवश्यकतानुसार आयोजित की जाएगी। चयन समिति की बैठक के आयोजन की सूचना समिति के सदस्यों को कम-से-कम 15 दिन पूर्व प्रेषित कर दी जाएगी। आपातकालीन बैठक आयोजित होती है तो उसकी सूचना 7 दिन पूर्व प्रेषित की जाएगी।

(घ) पुरस्कार हेतु अनुशंसित प्रविष्टियों पर परस्पर सहचिंतन एवं विचार करने का अधिकार और दायित्व चयन समिति को होगा।

(ङ) पुरस्कार के लिए अपेक्षित छानबीन एवं अंतिम निर्णय चयन समिति करेगी।

(च) यदि चयन समिति का निर्णय एकमत से संभव नहीं होता है तो चयन समिति के उपस्थित सदस्यों के बहुमत के आधार पर निर्णय लिया जाएगा। दोनों पक्षों के समर्थन में बराबर की सहमति रहने पर चेयर पर्सन को निर्णायक अभिमत प्रस्तुत करने का अधिकार होगा।

(छ) चयन प्रक्रिया के दौरान किसी प्रकार की सिफारिश करना न्यायसंगत नह है और इसपर किसी प्रकार का चिंतन संभव नह है।

(ज) पुरस्कार के संदर्भ में चयन समिति की बातचीत, राय, विचार-विमर्श, कार्यवाही एवं निर्णय सार्वजनिक रूप से प्रचारित नह किए जाएंगे, चयन समिति इसे सर्वथा गोपनीय रखेगी। पुरस्कार संबंधी संपूर्ण प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद चयन समिति के चेयर पर्सन को विजेता के नाम की घोषणा करने का अधिकार होगा।

(झ) पुरस्कार संबंधी अंतिम निर्णय निर्धारित की जाने वाली बैठक में चेयर पर्सन की उपस्थिति अनिवार्य रहेगी।

(ा) किसी बैठक में यदि चेयर पर्सन की उपस्थिति संभव नहीं हो सके तो इस स्थिति में उसे चयन समिति के किसी अन्य सदस्य को बैठक के चेयर पर्सन के रूप में लिखित प्रपत्र द्वारा मनोनीत करना होगा।

(ट) चयन की संपूर्ण प्रक्रिया से प्राप्त निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा। इसके विरूद्ध किसी प्रकार की अपील/दलील/चुनौती नह की जा सकेगी और न ही वह मान्य होगी।

(ठ) चयन समिति का दायित्व है कि प्रक्रिया का समुचित समायोजन हो और इस लक्ष्य की संपूर्ति के लिए वह किसी अन्य आवश्यक धारा को नियमावली में समाविष्ट कर सकती है।

* * * * * * * *